कार्यालय स्थलों में होने वाले यौन उत्पीड़न संबंधी अनुदेश

सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कृत्यों को कार्य स्थल में महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न माना जायेगा :

1. शारीरिक संबंध एवं इसकी पहल करना।
2. यौन संबंधी आग्रह या उसकी माँग करना।
3. यौन भावना से ग्रस्त टिप्पणियाँ करना।
4. अश्लील साहित्य/चित्र/फिल्मों का प्रदर्शन करना।
5. यौन- ाावना युक्त, कोई भी अवाछनीय शारीरिक, मौखिक अंथवा साकेतिक आचरण करना।

आचरण नियमों के अन्तर्गत नियम 3 (1) (iii) के प्रावधान अनुसार महिला कर्मचारियो के प्रति यौन उत्पीडन से युक्त कार्रवाई किसी भी अशोभनीय कृत्य को कदाचार माना जायेगा।

यदि कोई भी कर्मचारी यौन उत्पीड़न का दोषी सलिप्त पाया गया, उसके विरूद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

आदेशानुसार

INSTRUCTIONS RELATING TO THE SEXUAL HARASSMENT IN THE OFFICE ESTABLISHMENTS

ALL CONCERNED ARE INFORMED THAT THE FOLLOWING ACTS ARE DEEMED AS SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN IN THE WORKPLACE.

1. PHYSICAL CONTRACT AND ADVANCES
2. A DEMAND OR REQUEST FOR SEXUAL FAVORS
3. SEXUALLY COLOURED REMARKS
4. SHOWING PORNOGRAPHY
5. ANY OTHER UNWELCOME PHYSICAL, VERBAL OR NON-VERBAL CONDUCT OF SEXUAL NATURE

ANY ACT OF SEXUAL HARASSMENT OF A WOMEN EMPLOYEE AMOUNTS TO MISCONDUCT OF A GOVERNMENT EMPLOYEE AND ATTRACTS THE PROVISIONS OF RULE (3) (1) (iii) OF CONDUCT RULES.

APPROPRIATE DISCIPLINARY ACTION SHALL BE TAKEN IF A COMPLAINT IS RECEIVED AGAINST ANY EMPLOYEE ALLEGING INDULGENCE IN ANY FORM OF SEXUAL HARASSMENT.

BY ORDER